अनवर v/s रामअवतार मु.नं. 90/21

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व अहकाम हुक्म की जारी हुए
	वादी के खेत ख0नं0 1491/1053 रकबा 1.01 है0 व प्रतिवादी के खेत की संयुक्त रूप से पत्थरगढी करने के आदेश दिया जाना उचित प्रतीत होता है। पत्रावली वास्ते आदेश आइन्दा दिनांक 14/12/21 को पेश हो।	
14/12/21	पत्रावली पेश हुई वकुजात उपरोक्त पत्रावली वास्ते आदेश आइन्दा दिनांक 17/1/22 को पेश हो	
17/1/22	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उप.1 ... अधिकारी आज दिगर कार्य में .../भ्रमण/अवकाश पर हैं। अतः पत्रावली मय आदेशानुसार आइन्दा दिनांक 7/2/22 को पेश हो।	
7/2/22	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। प्रार्थी ने प्रकरण में पत्थरगढ़ी के आदेश करने का निवेदन किया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी ने पूर्व में आपसी सहमती से दोनो के खेत की पत्थरगढ़ी करवाये जाने हेतु पूर्व में कैम्प दिनांक 12.10.2021 में अपनी सहमती दी जा चुकी है। प्रकरण से संबंधित एक अन्य प्रकरण इन्द्रसिंह बनाम रामावतार में निर्णय दिनांक 14.12.2021 के द्वारा नक्शा दुरूस्ती के आदेश दिये गये थे। जिसकी इजराय संख्या 04/2021 दर्ज होकर पालना हेतु भिजवाई जा चुकी है। अतः प्रार्थी व अप्रार्थी की आपसी सहमती पर ग्राम मलसीसर स्थित वादी के खेत खसरा नम्बर 1491/1083 रकबा 1.01 है0 एवं इसके सटती हुई प्रतिवादी के खेत में संयुक्त रूप से पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू0अ0निरीक्षक एवं पटवारी की संयुक्त टीम में प्रत्येक को 500/– रूपये की फीस पर मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय के मुकदमा नम्बर 53/2021 में निर्णय दिनांक 14.12.2021 की पूर्ण पालना होने के पश्चात प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1491/1083 रकबा 1.01 है0 एवं इसके सटती हुई प्रतिवादी के खेत में संयुक्त रूप से पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढ़ी का खर्चा प्रार्थी एवं अप्रार्थी अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]